न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 24 / 2017
RCMS No. 2017/00158

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
अनाराम पुत्र भुराराम जाति मेगवाल निवासी गुडा मेहराम हाल निवासी नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली		1. फताराम पुत्र नेमाजी जाति मेगवाल निवसी गुडा मेहराम तहसील रानी 2. सरपंच ग्राम पंचायत सालरिया तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री कानाराम सोलंकी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री गुलाबराम मीणा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सालरिया द्वारा मिसल संख्या 12 / 2010–2011, संकल्प संख्या 08 दिनांक 08.11.2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टासुदा भूखण्ड के सामने ही प्रार्थी का एक रहवासीय भूखण्ड गांव गुडा मेहराम की आबादी भूमि में मालिकाना हकसुदा, कब्जासुदा पुश्तैनी आया हुआ स्थित है, जिस पर दिनांक 14.09.2000 को ग्राम पंचायत में 161 / – रूपये निर्माण कार्य की शुल्क जमा करवाया कर अपने भूखण्ड के चारो तरफ चार दीवारी का निर्माण किया है तथा पट्टा बनाने का आवेदन दिनांक 20.12.2001 को ग्राम पंचायत में जमा करवाकर 60 रूपये की रसीद कटवा दी थी, जिसके रसीद नम्बर 38 है, किन्तु फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के नाम का पट्टा जारी नहीं करने एवं तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी संख्या 2 के कहने पर प्रार्थी ने अपने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु दिनांक 29.03.2006 को पुनः नया आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई एवं दिनांक 13.06.2006 को तत्कालीन सरपंच ने प्रार्थी से शपथ पत्र लिया, किन्तु विवादित परिसर का बिना मौका निरीक्षण किए, बिना कब्जा दिनांक 08.11.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के पुश्तैनी भूखण्ड के सामने ही अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी भूखण्ड आया हुआ सिति है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 का उसके मकान के सामने की भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व तत्कालीन सरपंच ने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मिली भगत कर अप्रार्थी संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने के लिये उसके मकान के सामने की भूमि का पट्टा बनाकर तैयार कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त पट्टे से सम्बन्धित सभी मिसले एक ही दिन में तथा एक ही व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है। अप्रार्थी के पट्टा आवेदन के साथ में अप्रार्थी का शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है तथा पट्टे में किसी दो गवाहों के हस्ताक्षर व अंगूठे भी नहीं है, कब मौका निरीक्षण किया गया, कब नोटिस दिया गया, ऐसी कोई दिनांक अंकित नहीं है। जब प्रार्थी के पट्टे से सम्बन्धित पंचायत में कार्यवाही चल रही थी, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं था। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जा सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सालरिया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सालरिया द्वारा मिसल संख्या 12/2010–2011, संकल्प संख्या 03 दिनांक 08.11.2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत सालरिया ने अपने पत्रांक/126 दिनांक 30.10.2017 के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार प्रकरण का तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 3 दिनांक 08.11.2010 की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया जाना अंकित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव में पुश्तैनी पट्टे देने तथा बी0पी0एल0 परिवार को निःशुल्क पट्टे देने का प्रस्ताव पारित किया तथा इनकी आपत्तियां पेश हुई, अतः सदन ने फैसला लिया कि इनके पट्टे जारी कर दिया जाय तथा कैम्प के दिन वितरण कर दिया जावे। उक्त प्रस्ताव में किन किन मिसलों में क्या क्या कार्यवाही हुई, अंकन ही नहीं है तथा किस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाना है, इसका इन्द्राज ही नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे पूर्व की बैठक कार्यवाही विवरण में जैर निगरानी मिसल का अंकन ही नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया जैर निगरानी मिसल एवं उसके सम्बन्ध में पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा संदेहास्पद पाया जाता है। प्रकरण मे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना का पूर्णतः अभाव पाया गया है। अतः इस अनुरूप जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, सालरिया द्वारा मिसल संख्या 12/2010–2011, संकल्प संख्या 03 दिनांक 08.11.

अति. जिला कलेक्टर, पाली

2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 08.11.2010 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल ग्राम पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत कार्यालय से रिकार्ड अनुपलब्ध होना गंभीर लापरवाही है। इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सालरिया को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्राम पंचायत से जैर निगरानी पट्टे की मिसल अनुपलब्ध होने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर दोषी के विरूद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करावें तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट एक माह के भीतर आवश्यक रूप से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सालरिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 5/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली